# कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (कक्ष–विकास)

सतपुड़ा भवन, मध्य प्रदेश भोपाल
(E-mail:- apccfdev@mpforest.org, Fax :- 2674339)

क्रमांक/एफ.07./...../2012/ 2237 भोपाल, दिनांक : 25/06/12

प्रति,

1. समस्त मुख्य वन संरक्षक, क्षेत्रीय
   मध्यप्रदेश।

2. समस्त वन संरक्षक/वनमण्डलाधिकारी, क्षेत्रीय
   मध्यप्रदेश।

विषयः राजीव गॉधी जलग्रहण क्षेत्र प्रबन्धन विकास योजना के अन्तर्गत वन क्षेत्र में कार्य सम्पादन बावत्।

संदर्भः प्रधान मुख्य वन संरक्षक का पत्र कमांक 48 दिनांक 03.02.1996 ।

–00–

संदर्भित पत्र का अवलोकन करें जिसमें जलग्रहण विकास योजना के संदर्भ में स्पष्ट किया गया था, कि जल ग्रहण क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वनक्षेत्र में वन विभाग के अतिरिक्त अन्य किसी विभाग द्वारा कार्य सम्पादित करने पर वन विभाग द्वारा कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। निर्देशित किया गया था कि जब भी किसी मिलीवाटर शेड के अंदर वनक्षेत्र में कार्य किया जाना है तब उस वाटर शेड के लिये तैयार की गई योजना हेतु संबंधित वनमण्डलाधिकारी द्वारा वनक्षेत्र में किये जाने वाले कार्यो की तकनीकी स्वीकृति दी जावेगी। तकनीकी स्वीकृति के पश्चात् जलग्रहण क्षेत्र की योजना पर आगामी कार्यवाही जलग्रहण क्षेत्र प्रबन्धन मिशन द्वारा की जावेगी। वनक्षेत्रों में राजीव गॉधी जलग्रहण मिशन के कार्यो को किस तरह से कियान्वित किया जावेगा यह भी उक्त परिपत्र द्वारा स्पष्ट किया गया था। इस पत्र का पुनरावलोकन कर लें ताकि किसी भी प्रकार के संशय की स्थिति नही रहे।

2 दिनांक 22.06.2012 को संचालक, राजीव गॉधी जलग्रहण क्षेत्र प्रबन्धन मिशन के द्वारा अवगत कराया गया कि ग्वालियर, गुना, रतलाम, झाबुआ, खरगोन, दमोह, रीवा, टीकमगढ़ एवं विदिशा जिलों के वनक्षेत्रों में जल ग्रहण क्षेत्र उपचार कार्य करने में समस्या आ रही है। इन जिलों से संबंधित मुख्य वन संरक्षक एवं वनमण्डलाधिकारी स्वतः देखें कि जलग्रहण क्षेत्र प्रबन्ध के कार्यक्रम के कियान्वयन में वन विभाग से अपेक्षित सहयोग राजीव गॉधी जलग्रहण क्षेत्र प्रबन्धन मिशन को प्राप्त हो।

3 कार्य आयोजना के कियान्वयन में वर्ष 2012–13 के ड्यू कूपों में तथा विगत वर्षो में किये वृक्षारोपण क्षेत्रों में जहॉ राजीव गॉधी जलग्रहण क्षेत्र प्रबन्धन मिशन के वाटरशेड में वर्तमान में कार्य चल रहा है वहॉ मिशन के माध्यम से जल एवं मृदा संरक्षण कार्य सम्पादित करायें। इस हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला

पंचायत से यह जानकारी प्राप्त करनी होगी कि किन वाटरशेड्स में कहां पर कार्य सम्पादित हो रहा है। इस हेतु आवश्यक निर्देश जारी करने हेतु संचालक, राजीव गॉधी जलग्रहण क्षेत्र प्रबन्धन मिशन से अनुरोध किया जा रहा है।

4 जो वनक्षेत्र स्वीकृत वाटरशेड के अन्तर्गत आ रहे हैं उन क्षेत्रों में अधिक से अधिक स्थानीय प्रजाति के बीज बोया जाकर वन आच्छादन को बढ़ाया जाये। जिला स्तर पर प्रयास करें कि जलग्रहण मिशन प्रबन्धन समिति अधिक से अधिक इस कार्य को लेवें। इस हेतु आवश्यक निर्देश जारी करने हेतु संचालक, राजीव गॉधी जलग्रहण क्षेत्र प्रबन्धन मिशन से अनुरोध किया जा रहा है।

जलग्रहण क्षेत्र प्रबन्धन मिशन प्रदेश में जल एवं मृदा संरक्षण के अतिरिक्त वन अच्छादन बढ़ाने की एक महत्वपूर्ण योजना है। इसमें सकारात्मक रूप से कार्यवाही सुनिश्चित करें।

25/6

**(रमेश के.दवे)**
**प्रधान मुख्य वन संरक्षक**
**मध्यप्रदेश, भोपाल**

पृ.क्रमांक/एफ...../...../2012/ 2238 भोपाल, दिनांक : 25/6/12

**प्रतिलिपि :**

संचालक, राजीव गॉधी जलग्रहण क्षेत्र प्रबन्धन मिशन, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर उनसे दिनांक 22.06.2012 को हुई चर्चा के तारतम्य में सूचनार्थ अग्रेषित। कृपया अपने स्तर से आवश्यक निर्देश प्रसारित करने का कष्ट करें।

25/6

**प्रधान मुख्य वन संरक्षक**
**मध्यप्रदेश, भोपाल**

Doc /Ajay2012/Letter/

26

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल-462004

[illegible]/10/2/95 भोपाल, दिनांक 28 जुलाई, 1995

समस्त क्षेत्रीय वन संरक्षक,
मध्यप्रदेश

विषय:- जल एवं भूमि संरक्षण कार्यों में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत एकीकृत रूप से कार्य करने के लिए अन्य विभागों से सहयोग ।

---

दिनांक 11 एवं 12 जुलाई 1995 को राज्य योजना मण्डल की बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि भविष्य में मध्यप्रदेश में जिस भी योजना में वाटर शेड के आधार पर जल एवं भूमि संरक्षण का कार्य कराया जाएगा, उसमें वाटर शेड में पड़ने वाली सभी भूमि का एक साथ उपचार किया जाएगा ।

2/ वर्तमान में वन विभाग में मुख्य रूप से नर्मदा घाटी परियोजना के अंतर्गत विदिशा, शहडोल, मन्दसौर एवं रायगढ़ जिलों में भूमि संरक्षण वन मण्डलों द्वारा भूमि संरक्षण का कार्य किया जा रहा है । इसके अतिरिक्त कहीं कहीं विभिन्न कार्य आयोजनाओं में भी जल एवं भूमि संरक्षण का कार्य प्रस्तावित किया गया है । किन्तु सामान्यतः बजट के अभाव में उनका क्रियान्वयन नहीं हो पाता है ।

3/ उपरोक्त परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए यह निर्देशित किया जाता है कि राजीव गांधी टैक्नोलॉजी मिशन अथवा अन्य किसी योजना में यदि कोई वाटर शेड जल एवं भूमि संरक्षण कार्य हेतु लिया जाता है तथा जिला स्तर पर होने वाली बैठकों में संबंधित वनमण्डलाधिकारी को वाटर शेड की जानकारी प्राप्त होती है तो ऐसे वाटर शेड/मिनी वाटर शेड/माइक्रो वाटर शेड में पड़ने वाले वन क्षेत्र का जल एवं भूमि संरक्षण की दृष्टि से उपचार करने के लिये आवश्यक राशि का आंकलन कर संबंधित योजना से यह राशि प्राप्त कर वन क्षेत्र में जल एवं भूमि संरक्षण का कार्य कराया जाए ।

...2...

(2)

4/ जलग्रहण क्षेत्र का चयन अन्य विभागों द्वारा होने के कारण यह आवश्यक नहीं है कि जल ग्रहण क्षेत्र कार्य आयोजना में निर्धारित पातनांश से मेल खाता हो। किन्तु जल एवं मृदा संरक्षण कार्य वनों के संवर्धन हेतु लाभप्रद होने हेतु वन क्षेत्र में जलग्रहण के उपचार हेतु जो भी कार्य तकनीकी रूप से आवश्यक हों, उन्हें संबंधित परियोजना से राशि प्राप्त कर पूर्ण कराया जाए ताकि संसाधनों का पूरा लाभ प्राप्त हो सके।

28/7/95

(जितेन्द्र अग्रवाल)
अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

पृ.क्र. 1258/10/2/95 भोपाल, दिनांक 28 जुलाई, 1995

प्रतिलिपि:-

1- सचिव, राज्य योजना मण्डल, भोपाल।
2- सचिव, मध्यप्रदेश शासन, कृषि विभाग, भोपाल।
3- संचालक, राजीव गांधी टेक्नालाजी मिशन, भोपाल।
4- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश, भोपाल।
5- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास) मध्यप्रदेश, भोपाल।
6- प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य वन विकास निगम, भोपाल

की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

28/7/95

अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

(46)

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश भोपाल.

क्रमांक/ 418

भोपाल, दि 3-2-96

प्रति,

समस्त वन संरक्षक, क्षेत्रीय
मध्यप्रदेश.

विषय: राजीव गांधी जल ग्रहण क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत वन क्षेत्र [illegible] सम्पादन ।

=======

म0प्र0 शासन, ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत राजीव गांधी वाटर[illegible] मिशन कार्यक्रम संचालित है । इस योजना के अंतर्गत सम्मिलित जलग्रहण क्षेत्रों के वन भूमि पर जलग्रहण [illegible] समिति अथवा उनकी प्रतिनिधि संस्था द्वारा कार्य कराने के संबंध में कुछ शंकायें व्यक्त की जा रही हैं । इस परिप्रेक्ष्य में जलग्रहण विकास योजना के सफल एवं सुचारू क्रियान्वयन हेतु निम्न निर्देश दिये जाते हैं:-

1. जलग्रहण क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत वन क्षेत्र में वन विभाग के अतिरिक्त अन्य किसी विभाग द्वारा कार्य संपादित कराने पर वन विभाग द्वारा कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है ।

2. परन्तु जब भी किसी मिली वाटरशेड के अंतर्गत वन क्षेत्र में [illegible] किया जाना है तब उस वाटरशेड के लिए तैयार की गई योजना को सं[illegible] वनमण्डलाधिकारी द्वारा वन क्षेत्र में किये जाने वाले कार्यों का तकनीकी [illegible] के आधार पर योजना को तकनीकी स्वीकृति दी जायेगी । तकनीकी स्वीकृति के पश्चात जलग्रहण क्षेत्र की योजना पर आगामी कार्यवाही संबंधित संस्था[illegible] की जायेगी । यदि जिला स्तर पर वाटरशेड विकास कार्यों के लिए निर्मित सलाहकार समिति द्वारा कुछ योजनायें इन आदेशों के जारी होने के पूर्व स्वीकृत की जा चुकी हैं तो उन योजनाओं में वन क्षेत्र में किये जाने वाले कार्यों का तकनीकी मूल्यांकन एवं तकनीकी स्वीकृति इन आदेशों के जारी होने के 15 दिन के अन्दर प्राप्त की जाएगी ।

3. वाटरशेड विकास कार्यों के अंतर्गत वन क्षेत्र में कार्यों को वाटरशेड समितियों अथवा स्वयं सहायता दलों अथवा उपयोगकर्ता दलों द्वारा किया जाता है तो इन दलों द्वारा कराये जा रहे कार्य संबंधित वन विभाग के अधिकारी/कर्मचारियों के नियंत्रण में किया जायेगा ।

.....2

(47)

पुनः स्पष्ट किया जाता है कि सभी समितियां वाटरशेड कार्यों के लिए गठित परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी के अंतर्गत काम करेंगी और वाटरशेड विकास के लिए जारी किये गये निर्देशों के अंतर्गत कार्य संपादित करेंगे । [redacted]

4· वन क्षेत्र में यदि चारागाह अथवा जलाऊ लकड़ी का वृक्षारोपण किया जाता है तो इनका उपयोग वन विभाग द्वारा संयुक्त वन प्रबंधन के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही ग्रामीणों द्वारा उपयोग किया जाएगा । [redacted]

उपरोक्त निर्देश राजीव गांधी जलग्रहण विकास मिशन की सहमति प्राप्त कर जारी की जा रही है ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
मध्यप्रदेश

पृष्ठांकन क्र/ 47 भोपाल, दि० 03 फरवरी 1996

प्रतिलिपि:

1· अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास) म०प्र० भोपाल·

2· सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, भोपाल को उनके द्वारा प्रस्तुत टीप के तारतम्य में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

3· संचालक, राजीव गांधी जलग्रहण विकास मिशन म०प्र० भोपाल को उनसे दि० 02·02·96 को हुई चर्चा के तारतम्य में सूचनार्थ एवं तदनुसार समस्त जिलाध्यक्षों को निर्देश प्रसारित करने हेतु अग्रेषित ।

4· समस्त अपर प्र·मुवसं/मुवसं, म०प्र०भोपाल को सूचनार्थ अग्रेषित ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
मध्यप्रदेश·